



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

## U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या- 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.- 320, IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

पत्र सं०: 580/का० टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2021/

परिपत्र

दिनांक: 30/10/2021

**विषय :- उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के व्ययों को डिस्कोम एवं अन्य विद्युत निगमों में भारण अथवा आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया पूर्व में निर्गत पत्र सं० 166/का० टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2021 दिनांक 24.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से जी०एस०टी० सेल द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश सं० 20/का० टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 03.07.2020 एवं 20(A)/का० टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 13.08.2020 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु व्यय भारण पर जी०एस०टी० न लगाने हेतु आदेशित किया गया था।

उपरोक्त के अनुक्रम में अधिवक्ता नेसर्स जे०के० मित्तल एण्ड कम्पनी से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया एवं उनके विधिक राय (संलग्न) के अनुसार उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के व्ययों को अन्य विद्युत निगमों में भारित अथवा आवंटन किये जाने पर जी०एस०टी० की देयता नहीं आवेगी, जिसमें अन्य व्यय जैसे स्कीम विज्ञापन, राजस्व वसूली से सम्बन्धित व्यय, कर्मचारी ट्रस्ट सम्बन्धित व्यय इत्यादि भी शामिल हैं। अतः भविष्य में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के व्ययों को अन्य विद्युत निगमों में भारित/आवंटन पर जी०एस०टी० भारित नहीं करना है। व्यय भारण/आवंटन पूर्व की भाँति Debit/Credit Note के माध्यम से किया जायेगा एवं इकाईयों व्यय भारण/आवंटन हेतु Tax Invoice/Bill of supply निर्गत नहीं करेंगी।

इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि जी०एस०टी० की देयता सिर्फ व्ययों के भारण/आवंटन पर नहीं है किन्तु उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा अन्य विद्युत निगमों की अथवा अन्य विद्युत निगमों द्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को दी जाने वाली सेवाओं/विक्रय पर जी०एस०टी० सामान्य की भाँति देय होगा।

संलग्नक:- यथोपरोक्त।

(ए०के० अवस्थी)


मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

पत्रांक: 580/का० टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का० प्र० एवं प्रशा० उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. निदेशक (वित्त), उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

6. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के 10 अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरौजनी नगर, लखनऊ।
9. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पीएम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(स0 के0 अवस्थी)

मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्पदा)